

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर


क्रमांक/1934/वित्त/ब-4/2023 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/09/2023
प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट कार्यक्रम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने विभाग के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(ऋषभ पाराशर)
06/09/2023
उप सचिव

पृ.क्र./1935/वित्त/ब-4/2023 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/09/2023


प्रतिलिपि:-

1. समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी, छत्तीसगढ़
2. सचिव, वित्त के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय
3. संचालक बजट, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
4. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर
5. विशेष सचिव/अपर सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
6. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय
7. समस्त अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन. आई. सी. मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग को वित्त विभाग की बेवसाईट में अपलोड करने हेतु


(निखिल कुमार अग्रवाल)
06/09/2023
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट कार्यक्रम

1.	08 सितम्बर, 2023	वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट, राजस्व प्राप्तियों की पृथक-पृथक प्रविष्टियों हेतु ऑनलाईन बजट मॉड्यूल लिंक तथा हार्ड कॉपी प्रदाय
2.	13 सितम्बर, 2023	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति में विभाग (विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों) में उपलब्ध वाहनों, दूरभाष एवं कम्प्यूटरों की सूची तथा स्वीकृत पद संरचना एवं परिसंपत्तियों की जानकारी ऑनलाईन/हार्ड कॉपी में वित्त विभाग को उपलब्ध कराना
3.	12 अक्टूबर, 2023	राजस्व प्राप्तियां/वसूली के बजट अनुमान 2024-2025 के बजट प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त करने की अंतिम तिथि (निर्धारित प्रपत्र के अतिरिक्त कुल राजस्व प्राप्ति के प्रस्ताव का विवरण पृथक से जैसा आपके विभाग में संधारित है वह भी भेजें)
4.	30 अक्टूबर, 2023 से 07 नवम्बर, 2023 तक	राजस्व प्राप्तियां/वसूली के बजट प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ (विभागाध्यक्ष एवं विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव) चर्चा
5.	09 नवम्बर, 2023	बजट प्रस्ताव वर्ष 2024-2025 के वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
6.	15 नवम्बर, 2023 से 08 दिसम्बर 2023 तक	बजट प्रस्ताव वर्ष 2024-2025 पर प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ (विभागाध्यक्ष एवं विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव) चर्चा
7.	19 दिसंबर, 2023 से 29 दिसम्बर, 2023 तक	सचिव, वित्त द्वारा अन्य विभाग के सचिवों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा (नवीन मद के प्रस्ताव सहित)
8.	08 जनवरी 2024	माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण हेतु सामग्री, परिणामी, जेंडर तथा आफ बजट 2024-2025 प्राप्त होने की अंतिम तिथि
9.	16 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 तक	माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा अन्य विभागों के मान. मंत्रीगण से बजट प्रस्तावों पर चर्चा
10.	17 जनवरी, 2024	दिनांक 31.12.2023 तक बकाया गारंटियों की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त हाने की अंतिम तिथि
11.	31 मार्च, 2024	प्रशासकीय विभागों द्वारा पुनर्विनियोजन/समर्पण के आदेश जारी करने हेतु अंतिम तिथि



 06/09/2023

नोट :-

आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के बजट प्रस्ताव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजे जावें।

विशेष सूचना :-

- (1) वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 345/2007/ब-1/चार दिनांक 18 अप्रैल, 2007 के अनुसार नवीन व्यय के प्रस्तावों को सूक्ष्म परीक्षित (Scrutinized) के रूप में शामिल करायें। वर्ष 2024-2025 के बजट में अपरीक्षित व्यय के नवीन मदों के स्थान पर परीक्षित मद के रूप में प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी। अपरीक्षित नवीन मद के प्रस्ताव केवल मंत्री-स्तरीय चर्चा में ही विचार किये जायेंगे। अतः विभाग कृपया ऊपर अंकित समय सारणी का कड़ाई से पालन करे।
- (2) बिंदु क्रमांक 1 में उल्लेखित नवीन व्यय के प्रस्तावों को वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 825/एल 6-6/2010/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 13 मई, 2011 में उल्लेखित नई सेवा/सेवा का नया साधन के संशोधित सीमाओं के अनुसार उपलब्ध कराया जावे।
- (3) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्याओं के अंतर्गत संचालित योजनाओं का समेकित बजट प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संबंधित विभागों से चर्चा कर तैयार किया जाकर वित्त विभाग को उपरोक्तानुसार समय सीमा में प्रस्तुत किया जावेगा।


06/05/2023.

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, जिला-रायपुर